न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 01/2022

मुखत्यार सिंह बनाम बलवीर सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 सीपीसी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए)

--आदेश-- दिनांक :20.04.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी(प्रतिवादी) मुखत्यार सिंह ने प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी आराजी भूमि मुरब्बा नम्बर 74 के किला नम्बर 2, 3, 11 ता 15 में जाने के लिए पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है, लेकिन प्रार्थी द्वारा पुनः उसी विषय वस्तु हेतु पुनः श्रीमान् जी के इसी न्यायालय में फिर से प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार एंव विधि के सिद्धान्तों रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के अनुसार पोषणीय नहीं है। प्रार्थी ऐसा करने में विधि के सिद्धान्तों से बाध्य है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए खारिज किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल अप्रार्थी(वादी) अधिवक्ता को दिलाई गई। अप्रार्थी(वादी) अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी ने अपनी आराजी मुरब्बा नम्बर 74 के किला नम्बर 2,3,11 ता 15 में जाने के लिए अलग से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था। बल्कि मुरब्बा नम्बर 74 के खातेदारो जुगराज सिंह आदि ने प्रार्थना पत्र जुगराज सिंह आदि बनाम कीमत राम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए नम्बरी 10/2019 पेश किया था जो हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को इस आदेश के साथ खारिज कर दिया गया कि तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुरब्बा नम्बर 73 के किला नम्बर 21 ता 25 में से वैकल्पिक रास्ता दिया जा सकता है। हाजा न्यायालय के आदेशानुसार धारा 11 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है और प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है और प्रथम दृष्टया काबिले खारिजी है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 सीपीसी, जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी में कथन किए गए है कि प्रार्थी(प्रतिवादी) मुखत्यार सिंह ने प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी आराजी भूमि मुरब्बा नम्बर 74 के किला नम्बर 2, 3, 11 ता 15 में जाने के लिए पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है, लेकिन प्रार्थी द्वारा पुनः उसी विषय वस्तु हेतु पुनः श्रीमान् जी के इसी न्यायालय में फिर से प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार एंव विधि के सिद्धान्तों रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के अनुसार पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी(वादी) अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किए है कि वादी ने अपनी आराजी मुरब्बा नम्बर 74 के किला नम्बर 2,3,11 ता 15 में जाने के लिए अलग से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था। बल्कि मुरब्बा नम्बर 74 के खातेदारो जुगराज सिंह आदि ने प्रार्थना पत्र जुगराज सिंह आदि बनाम कीमत राम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए नम्बरी 10/2019 पेश किया था जो हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को इस आदेश के साथ खारिज कर दिया गया कि तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुरब्बा नम्बर 73 के किला नम्बर 21 ता 25 में से वैकल्पिक रास्ता दिया जा सकता है। हाजा न्यायालय के आदेशानुसार धारा 11 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है।

न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 10/2019 अनवान जुगराज सिंह आदि बनाम कीमत राम आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के निर्णय दिनांक 24.02.2020 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को मुरब्बा नम्बर 73 के किला नम्बर 21 ता 25 में से वैकल्पिक रास्ता दिए जाने बाबत, मुरब्बा नम्बर 73 के काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाकर नया प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति दी गई है। हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

है। अतः प्रार्थी(प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी भली-भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे।

आदेश आज दिनांक 20.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर